रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 1988/भाद्रपद 10, 1910
No. 468] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 1988/BHADRA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1988

सं. 24/88 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 895(अ) :– केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—

(1) नियम 97 के उपनियम (1) के पहले परन्तुक में खंड (vii) में अन्त में आने वाले शब्द 'और' का लोप किया जाएगा और खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viiक) संदेय प्रतिदाय की रकम पुनः बनाए जाने, परिष्कृत किए जाने, पुनर्नुकूलित किए जाने या कारखाने में किसी प्रकार का कोई अन्य प्रसंस्करण किए जाने के पश्चात् ऐसे माल पर संदेय शुल्क से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी" ;

(2) नियम 173ञ में, उपनियम (1) में, –

(क) पहले परन्तुक में, –

(i) खण्ड (ii) में, "ऐसे पुनः प्रवेश के चौबीस घंटे के भीतर" शब्दों के पश्चात् या "दस दिन से अनाधिक

की ऐसी और कालावधि के भीतर जो कलक्टर पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे", शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) संदेय प्रतिदाय की रकम पुनः बनाए जाने, परिष्कृत किए जाने, पुनर्मूकूलित किए जाने या कारखाने में किसी प्रकार का कोई अन्य प्रसंस्करण किए जाने के पश्चात् ऐसे माल पर संदेय शुल्क से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।"

(ख) दूसरे परन्तुक में, "ऐसे पुनः प्रवेश के चौबीस घंटे के भीतर" शब्दों के पश्चात् "या दस दिन से अनधिक की ऐसी और कालावधि के भीतर जो कलक्टर, पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(3) नियम 173ङ के उपनियम (1) में, "ऐसे पुनः प्रवेश के चौबीस घंटे के भीतर" शब्दों के पश्चात्, जहां वे परन्तुकों में आते है, "या दस दिन से अनधिक की ऐसी कालावधि के भीतर जो कलक्टर पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

(4) नियम 173ङ में, खंड (1) में "उसकी प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर" शब्दों के पश्चात् "या दस दिन से अनधिक की ऐसी और कालावधि के भीतर जो कलक्टर, पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे", शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 210/50/87-सीएक्स. 6]
ए. के. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1988

No. 24/88-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G. S. R. 895 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Fifth Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944,—

(1) in rule 97, in sub-rule (1), in the first proviso, in clause (vii) the word "and" occurring at the end shall be omitted and after clause (vii) the following clause shall be inserted, namely :—

"(viia) the amount of refund payable shall in no case be in excess of the duty payable on such goods after being re-made, refind, reconditioned or subjected to any other similar process in the factory;";

(2) in rule 173L, in sub-rule (1),—

(a) in the first proviso,—

(i) in clause (ii), after the words "within twenty-four hours of such re-entry", the words "or within such further period not exceeding ten days, as the Collector may, on sufficient cause being shown, permit in any particular case," shall be inserted;

(ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iv) the amount of refund payable shall in no case be in excess of the duty payable on such goods after being remade, refined, re-conditioned or subjected to any other similar process in the factory.";

(b) in the second proviso, after the words "within twenty-four hours of such re-entry the words "or within such further period, not, exceeding ten days, as the Collector may, on sufficient causes being shown, permit in any particular case", shall be inserted;

(3) in rule 173M, in sub-rule (1), after the words "within twenty-four hours of such re-entry", wherever they occur in the provisos, the words "or within such further period not exceeding ten days, as the Collector may, on sufficient cause being shown, permit in any particular case" shall be inserted;

(4) in rule 173N, in clause (1), after the words "within twenty-four hours of its receipt", the words "or within such further period not exceeding ten days, as the Collector may, on sufficient cause being shown, permit in any particular case" shall be inserted.

[F. No. 210/50/87-CX-6]
A. K. PRASAD, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988